रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09072021-228198
CG-DL-E-09072021-228198

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 387] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 9, 2021/आषाढ़ 18, 1943
No. 387] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 9, 2021/ASHADHA 18, 1943

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च , 2021

सा.का.नि. 485(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय , स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (सिपाही) भर्ती नियम, 2018, में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, (सिपाही) भर्ती (संशोधन) नियम, 2021 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. गृह मंत्रालय , स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (सिपाही) भर्ती नियम, 2018 की अनुसूची में, -

(i) स्तंभ (6) में, अंक "25" के स्थान पर अंक "23" रखा जाएगा;

(ii) स्तंभ (7) में, शीर्षक 'शारीरिक दक्षता परीक्षण' के अधीन, -

(क) उप-शीर्षक 'पुरुष अभ्यर्थी' के अधीन प्रविष्टियां "(ख)" और "(ग)" का लोप किया जाएगा।

(ख) उप-शीर्षक 'महिला अभ्यर्थी' के अधीन प्रविष्टियां "(ख)" और "(ग)" का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. I-12014/40/2017-एनसीबी-II]

आशुतोष अग्निहोत्री, संयुक्त सचिव

(131)

टिप्पण : मूल नियम राजपत्र में 24 मई 2018 को प्रकाशित की गई अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 477(अ), दिनांक 17 मई , 2018 के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-3, उप.-खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे।

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 335] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 24, 2018/ज्येष्ठ 3, 1940
No. 335] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 24, 2018/JYAISTHA 3, 1940

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मई, 2018

सा.का.नि. 477(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गृह मंत्रालय, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो सिपाही भर्ती नियम, 2010 का अधिक्रमण करते हुए एतद्द्वारा गृह मंत्रालय के अधीन स्वापक नियंत्रण ब्यूरो में सिपाही के पद पर तैनाती प्रकिया को नियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् –

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**–(1) इन नियमों को गृह मंत्रालय, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (सिपाही) भर्ती नियम, 2018 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद–संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल.**–उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, और अन्य अर्हताएं, आदि.**–उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति,–

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**–जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी

(129)

6. **व्यावृत्ति**.–इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिपाही	245* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', (अराजपत्रित, अननुसचिवीय)	लेवल–1 (रु. 18000–56900)	लागू नहीं होता	18–25 वर्ष । (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिलनीय)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।
(7)	(8)	(9)
अनिवार्यः किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष उत्तीर्ण शारीरिक मानः **ऊँचाई :** पुरूष अभ्यर्थियों के लिए – 170 से.मी. महिला अभ्यर्थियों के लिए– 157 से.मी. **सीनाः** पुरूष अभ्यर्थियों के लिए– बिना फुलाए –80 से.मी. फुलाने पर–5 से.मी. का फैलाव **नोट**– महिला अभ्यर्थियों के मामले में सीने संबंधी न्यूनतम अनिवार्यता नहीं है। **वजन** : पुरूष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए : चिकित्सा मानकों के अनुसार आयु और लम्बाई के यथानुपात **चिकित्सा मान :** 1. दृष्टि : न्यूनतम दूर दृष्टि 6/6 और चश्मे सहित या चश्मे के बिना दोनों ऑख 6/9 की होनी चाहिए। 2. अभ्यर्थियों की संहत जानु, चपटा पॉव, धनुषाकार टांगें, फूली हुई नसें, भैंगी ऑखों वाला, शरीर के कोई भाग का नाश नहीं होना चाहिए और उच्च रंग दृष्टि वाला होना चाहिए।	शैक्षिक अर्हताएं और चिकित्सा मान लागू होते हैं। आयु–सीमा चालीस वर्ष होगी।	दो वर्ष।

3. उन्हें अच्छा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का और ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जिससे उनके कर्तव्यों के दक्षता पूर्ण पालन करने में बाधा आने की संभावना हो । **शारीरिक दक्षता परीक्षण :** पुरूष अभ्यर्थियों के लिए – (क) 24 मिनटों के अंदर पांच किलोमीटर की दौड़ पूरी करना (ख) 11 फीट लंबी कूद(तीन मौके दिए जाएंगे) (ग)3–1/2फीट ऊंची कूद (तीन मौके दिए जाएंगे). **महिला अभ्यर्थियों के लिए –** (क) 8.3 मिनटों में 1.6 किलोमीटर की दौड़ पूरी करना (ख) 9 फीट की लंबी कूद(तीन मौके दिए जाएंगे) (ग) 3 फीट की ऊंची कूद (तीन मौके दिए जाएंगे). (I) गढ़वाली, कुमाऊंनी, हिमाचल प्रदेश, गोरखा, डोगरा, मराठा, सिक्किम, लेह और लद्दाख, कश्मीर घाटी और पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित पुरूष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 165 से.मी. होगी। महिलाओं के लिए, न्यूनतम ऊँचाई 155 से.मी. होगी। जनजातियों से संबंध रखने वाले पुरूष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 162.5 और महिला अभ्यर्थियों के लिए 150सें.मी. होगी । (II) सीना –सीने में शिथिलता जनजातियों और केवल पहाड़ी क्षेत्रों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए लागू होगी । इस श्रेणी के कार्मिकों के लिए सीने का न्यूनतम माप निम्न होगा– 1. उपरोक्त विनिर्दिष्ट पहाड़ी क्षेत्रों से संबंधित पुरूषों के लिए 78–83 सें.मी. होगा। 2. सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों की जनजातियां : 76–81 सें.मी. उपर्युक्त उल्लिखित दक्षता मानदंडों को किसी भी प्रकार से शिथिल करने की शक्ति महानिदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के पास होगी। **नोट**–शारीरिक और चिकित्सा मानक केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों के लिए भारत सरकार के विहित अनुदशों के अनुरूप हैं।		

भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा ।
(10)	(11)
80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा अथवा भूतपूर्व सैनिक के पुनर्नियोजन द्वारा, 15 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा, और 5 प्रतिशत वेतन मैट्रिक्स रु. 18000–56900 में पात्र समूह –'ग' कर्मचारियों में से री–मस्टरिंग द्वारा ।	**री–मस्टरिंग** : स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के समूह–'ग' कर्मचारी जो रु. 18000 – 56900 के वेतन मैट्रिक्स में लेवल–1 मेंहों और जिनकी न्यूनतम सेवा तीन वर्ष की हो। **प्रतिनियुक्तिः** केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के कार्मिक जिन्होंने इस ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो **अथवा** भूतपूर्व सैनिक जिनकी सेवानिवृत्ति एक वर्ष के भीतर होने वाली हो।

(127)

	आमेलन : स्वापक नियंत्रण ब्यूरो में आमेलन के लिए आवश्यक न्यूनतम अर्हताएं निम्न हैं– (क) मान्यता–प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन अथवा समतुल्य उत्तीर्ण, (ख) उसके मूल संवर्ग में अथवा स्वापक नियंत्रण ब्यूरो में प्रतिनियुक्ति के दौरान कोई बड़ा दंड न दिया गया हो, (ग) मूल संगठन अथवा विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र, व (घ) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो में दो वर्ष का सेवा–अनुभव। **टिप्पण–1 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग–बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण–2 :** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना ।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
1. समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) में निम्नलिखित होंगे :– (1) उप निदेशक (प्रशासन), स्वापक नियंत्रण ब्यूरो – अध्यक्ष (2) सहायक निदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो –सदस्य (3) अवर सचिव, आईएस–II प्रभाग, गृह मंत्रालय – सदस्य (4) सहायक कमाडेंट, केन्द्रीय अर्धसैनिक बल – सदस्य **2. समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) में निम्नलिखित होंगे :–** (1) उप निदेशक (प्रशासन), स्वापक नियंत्रण ब्यूरो – अध्यक्ष (2) सहायक निदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो – सदस्य (3) आईएस–II प्रभाग,गृह मंत्रालय, से अवर सचिव – सदस्य (4) सहायक कमाडेंट, केन्द्रीय अर्धसैनिक बल – सदस्य	आवश्यकता नहीं है तथापि प्रतिनियुक्ति और आमेलन के लिए गृह मंत्रालय की अनुमति आवश्यक है।

[फा. सं. I.-12014/40/2017–एन सी बी–II]

मुकेश मित्तल, संयुक्त सचिव